Recd 07/12/05

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका जू0हा0स्कूल
शारदा रोड,
मेरठ।

पत्रांक सं0: प्रबन्ध/ 2749-52 /2005–06 दिनाँकः 2-12-05

विषयः– जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आंख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक 29 नवम्बर 2005 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15–6–917–18 एस (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :–

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्ते पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नहीं करा ली जाती।
2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निमार्ण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।
5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।
7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।
8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।
10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।
12) विभागीय आदेशों का पालनप किया जाये।
13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।
14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।
16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करने हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निर्माण करायें।

भवदीय,

7/12/05

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल, मेरठ।
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल मेरठ

पृ०सं० प्रबन्ध/ /2005-06 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
5. नगर शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, मेरठ।
6. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

माननीय प्रबन्धक महोदय/श्रद्धेय अध्यक्ष जी
आपके अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ सादर प्रेषित!
7.12.05

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल, मेरठ।

President Sir
for your kind information please.
S.P. Gupta
7/12/05

Hony Prabandhak / Principal
Congratulations
A great achievement
Kanoharlal
7/12/05

nt/jhr/mmm

रजिस्टर्ड

प्रेषक

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

त्रिशला देवी कन्नोहर लाल कन्या

इण्टर कालिज, मेरठ।

पत्रांक : मा० शि० प०/मान्यता(मे०) 465 मेरठ : दिनांक 20-6-20

विषय : सीधे/हाई स्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था त्रिशला देवी कन्नोहर लाल कन्या इण्टर कालिज, मेरठ को ~~बालक~~/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2007 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्तविहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :—

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्ध तंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्रोतों से की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

Attested
R.P. Gupta

(कृ० प० उ०)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) विद्यालय में हाई स्कूल कक्षा 9–10 के अतिरिक्त अन्य जूनियर कक्षाएं यदि संचालित की जाती हैं, तो वह कक्षाएं अमान्य होगी तथा विद्यालय का भाग नहीं होगा।

टिप्पणी—इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।

20.6.06

पृष्ठांकन सं० : मा० शि० प०/मान्यता (मे०) दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—जिला विद्यालय निरीक्षक, (द्वितीय) मेरठ ।

2—संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।

3—हाई स्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।

4—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद ।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०)–62 मा० शि० प०–18-8-2001–10,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट) ।

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबंधक,
कनोहर लाल गर्ल्स कालेज,
मेरठ ।

पत्र संख्या मा०शि०/मान्यता/४५७६

इलाहाबाद दिनांक २४/६/[illegible]

विषय : आपका ~~हाई स्कूल~~/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/~~अतिरिक्त~~ मान्यता का प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, ~~मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त~~, इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ११ के अन्तर्गत उपर्युक्त विद्यालय को ~~बालक~~/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की १९७१ की ~~हाईस्कूल~~ इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त~~ मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :—

सामान्य प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ~~९ वीं~~/११ वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से ~~जिला विद्यालय निरीक्षक~~/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षाएं अमान्य व अनियमित होंगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(२) इस आदेश पत्र को प्राप्त करने की तिथि से दो माह के अन्दर ही ~~जिला विद्यालय निरीक्षक~~/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से ~~९ वीं~~/११ वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

(३) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(४) सज्जा की व्यवस्था ~~निरीक्षक~~/निरीक्षिका के सन्तोषानुसार की जाय । इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे ।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापकगणों परिषद द्वारा निर्धारित

Principal
Kanohar Lal Mahila Mahavidyalaya
Meerut.

प्रधानाचार्या
त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका
इण्टर कालिज, मेरठ

(3)

न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं तथा एक प्रधानाचार्या की नियुक्ति ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व नियमानुसार की जाय ।

(ख) ५०००) रुपये की कक्ष सज्जा व २०००) रुपये की शिक्षण सामग्री शीघ्र क्रय की जाय ।

(ग) गृह विज्ञान की प्रयोगशाला हेतु ६०००) रुपये की सज्जा व शिक्षण सामग्री शीघ्र क्रय की जाय ।

(घ) पुस्तकालय के लिये २०००) रुपये की पुस्तकें २ वर्षों में क्रय की जाय ।

(ङ) प्रशासन योजना स्वीकृत करा के एक प्रमाणित प्रतिलिपि इस कार्यालय को शीघ्र भेजी जाय ।

(च) विद्यालय के नाम ४५०) रुपये वार्षिक आय का १५०००) रुपये का प्राभूत शीघ्र जमा करके उसे निरीक्षिका के पद में प्लेज किया जाय तथा वार्षिक ब्याज नियमित रूप से विद्यालय के अनुपालन कोष में जमा किया जाय ।

(छ) ५०००) रुपये का सुरक्षित कोष विद्यालय के नाम जमा करके निरीक्षिका के पद में प्लेज किया जाय ।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
१: साहित्यिक	हिन्दी	अंग्रेजी, इतिहास, गृह विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, कला, संस्कृत, भूगोल तथा संगीत (गायन तथा वादन)
२: कलात्मक	हिन्दी	संगीत (गायन तथा वादन) चित्रकला तथा वाणिज्य कला ।

True Copy Attested
4-3-7?
Principal
Kanohar Lal Mahila Mahavidyalaya

भवदीय)

ह० समाजीत सिंह
(समाजीत सिंह)
अतिरिक्त सचिव

3/2/70

टिप्पणी : निरीक्षिका महोदया विशेषकर उपर्युक्त ङ, च, तथा छ प्रतिबन्धों की पूर्ति पूर्णरूप से होने पर ही विद्यालय को कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें ।

पृष्ठांकन आर्इ० बी०/मान्यता/ इलाहाबाद दिनांक १९६९ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(१) मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ ।
(२) शिक्षा निदेशक(बालिका विभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(३) इन्टरमीडिएट परीक्षा विभाग।
(४) वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, १८, पार्क रोड, लखनऊ ।

(समाजीत सिंह)
अतिरिक्त सचिव ।

प्रधानाचार्या
त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका
इण्टर कालिज, मेरठ

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,
त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका इ0का0,
मेरठ।

पत्रांक : आई0वी0मान्यता / 719 दिनांक 5/8/2011

विषय : इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये ~~नवीन~~/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को ~~बालक~~/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2013 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों मे सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ ~~नवीन~~/~~अतिरिक्त~~ वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्रारक्षित कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर ज़िला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होगें। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

Attested

क्र0प0उ0

प्रधानाचार्या

प्रधानाचार्या
त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका
इन्टर कालिज
मेरठ

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग)

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वाणिज्य अति० वर्ग	हिन्दी, अंग्रेजी, बहीखाता तथा लेखा शास्त्र, व्यापारिक संगठन पत्र व्यवहार एवं बाजार विवरणी, अधिकोषणतत्व, गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल	

टिप्पणी—उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

पृष्ठांकन सं० आई०वी०मान्यता/ दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
3. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

सेवा में ,

प्रबन्धक,
त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका इण्टर कालेज,
मेरठ

पंत्राक : मा0शि0प0/मेरठ/मान्यता / 99 दिनांक– 17 मई 2023

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये वैज्ञानिक अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति ,माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त राजाज्ञा संख्या–612/15–7–2023–1(1)/2023 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 10 मई, **2023 के द्वारा** इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1921 (यथा संशोधित 1987) की धारा–7क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था **त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका इण्टर कालेज, मेरठ** को बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की **वर्ष 2025** की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धो के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानो के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था ,शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा ,शिक्षण सामग्री प्रयोगशाला ,भूमि/भवन पुस्तकालय ,प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धो की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र मे अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होगे । इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा ।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है, अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक/परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

कृ0प0उ0

(ग) प्रतिभूति (जमानत) की धनराशी रूपये 5000=00 (रू0 5000=00 प्रति वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय के पदनाम में बन्धक करा कर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरीफिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
वैज्ञानिक वर्ग– अतिरिक्त।	सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान।	

टिप्पणी–उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षकं के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

भवदीय,

(कमलेश कुमार)
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/मेरठ/मान्यता / 99 (1–5) दिनांक– 17 मई, 2023

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप सचिव, (शिक्षा–7 अनुभाग)उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,मुख्य कार्यालय ,प्रयागराज।
3. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल मेरठ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
5. हाईस्कूल/इण्टर परीक्षा अनुभाग ,माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ।

(कमलेश कुमार)
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ